

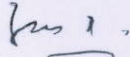
राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एन-136 /2011) (लिंक नं. 9443)/अलेसे-11/ दिनांक :- 11.06.19
कार्यालय आदेश 164

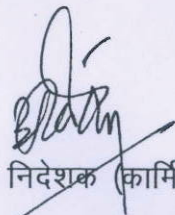
श्री निर्मल कुमार जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के विरुद्ध पुलिस थाना, बाँली (सवाई माधोपुर) में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने एवं पुलिस थाना, बाँली द्वारा श्री निर्मल कुमार जैन को 48 घण्टे से अधिक पुलिस हिरासत में रखे जाने के कारण विभागीय आदेश दिनांक 07.01.2016 द्वारा दिनांक 14.12.2015 से अग्रिम आदेश तक निलंबित कर नियमानुसार निर्वाह भत्ता स्वीकृत किया गया था। श्री जैन ने निलंबन काल अवधि 6 माह से अधिक होने के कारण निर्वाह भत्ते में वृद्धि करने हेतु निवेदन किया है। पुलिस थाना, बाँली द्वारा प्रकरण में चालान प्रस्तुत कर दिया है।

अतः राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 (1) के अनुसरण में श्री निर्मल कुमार जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (निल.) को दिये जा रहे निर्वाह भत्ते में दिनांक 14.06.2016 से 50 प्रतिशत की अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एन-136 /2011) (लिंक नं. 9443)/अलेसे-11/ दिनांक :- 11.06.19
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, बूंदी।
2. कोषाधिकारी, टोंक।
3. उपकोषाधिकारी, इन्द्रगढ़ (बूंदी)।
4. श्री निर्मल कुमार जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (निल.), मुख्यालय कोषालय टोंक।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)